

दियक,

एच.पी. सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ.प. शसन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिवरण,  
उ.प. शसन।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

तथ्यक : दिनांक : 21 अगस्त, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1901/76/एफ/एबीएमवीवीआई/2013-14, दिनांक 06 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-बहराईच की न.प.०, जरवल व रिसिया तथा न.प.०.प.०, बहराईच, नानपारा की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलकिंग, नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 21 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-107/2116/69-1-14-44(असं0-37)/2014, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा रु० 302.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 151.345 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त जनपद-बहराईच की न.प.०, जरवल व रिसिया एवं न.प.०.प.०, बहराईच व नानपारा की कुल 17 परियोजनाओं के कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तर-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० 118.255 लाख (रुपये एक करोड़ अठ्ठासह लाख पच्चीस हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सार्व स्वीकृति पदान करते हैं:-

5. उक्त धनराशि पश्चगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
6. पश्चगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के पस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रतिनिधि/प्रतिनिधि

21/8/15

7. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूटा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। अनुसूत उपयोजना/तार निर्मित नए में उक्त की कारवाय एवं स्वीकृत परियोजनागत कार्य के विशेषियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित कराया जाये कार्य क्रमशः इस धनराशि का उपयोग करायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उपलब्ध लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
8. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूटा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूटा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रयुक्त परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने का उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में खर्च की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक वर्ष के शासी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यय अनुसूत में नहीं होगा। सीमांत/अपकरणों का व्यय वित्तीय विवरणों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/हाथार/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मांगों को निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाने का पूर्ण दायित्व कार्य/मदों के रास्ता/सम्बन्धित डूटा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार प्राविधानों/समय समय पर शासी द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अनुसूत करने से पूर्व सूझ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रयुक्त परियोजनाओं के निर्माणों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तब ही उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्वीकृत कार्य/मद करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूटा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अनुसूत करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनागत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्तर से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न हो वह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुर्लभांग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि अतः राजकोष में जमा कराकर धारा को सूचित किया जायेगा।
11. प्रयुक्त परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दिराकृति/पुनराकृति न हो, यह सूझ/डूटा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, 30 प्र 0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं नगरीय उन्मूलन कार्य/मद विभाग, 30 प्र 0 शासन के प्रतिरत्नकोपरांत किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लैंग), उत्तर प्रदेश, इत्यादि का आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सर्वकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष खाली ही धनराशि अहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यवसाय धन दिनांक वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनागत व प्रविधित्त बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04 गन्दी बस्तियाँ का विकास-051-निर्माण-03 महिला बस्तियाँ तथा अन्यसंबन्धक बाहुल्य बस्तियाँ में सी0सी0 रोड/इंटरलाकिंग नाला आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसंपत्तियाँ के सृजन हेतु अनुदान" के नामे भुक्त जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय समय पर जारी आदेशों के लक्षात् किये जा रहे हैं।  
संलग्नक: यथोक्त।

अध्याय,  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-117/2015/2095(1)/69-1-2015 तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, तिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बहराइच।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 50प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 50प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कमप्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

क्र० सं०	जन्मपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	घर/वाटें का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	दिलीप/अंतिम तिथि तक राश में स्वीकृती योग्य राशि।
1	2	3	4	5	6
1.	बहरादुच	ज०प०. जखल	मो० वैराजाजी में लड्डन के मकान से हजूरान के मकान तक एवं आन्तरिक गलियाँ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.30	3.65
2.	लदैव	लदैव	मो० तक्रिया में कैलाश के मकान से रामदीन एवं लक्ष्मी चौरसिया व हसन मोहम्मद के मकान होते हुये मुज्जा बिल्ली वाले के मकान तक एवं आन्तरिक गलियाँ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.21	8.95
3.	लदैव	लदैव	मो० कटरा उत्तरी में खलील बिक्रम के मकान से नगर पंचायत सीमा तक एवं आन्तरिक गलियाँ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.28	7.61
4.	लदैव	लदैव	मो० अहमद शाह नगर में लड्डन रॉ की दुकान से शकील चक्री वाले के मकान तक एवं आन्तरिक गलियाँ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.61	19.345
5.	लदैव	लदैव	मो० धानदारी में पप्पू के मकान से स्वामिधारी के मकान होते हुये रामदीन के मकान से भवानी थान मन्दिर तक एवं आन्तरिक गलियाँ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.46	7.73
6.	लदैव	लदैव	मो० जामा मोहम्मद में मोहम्मद अहमद के मकान से हफिज अब्दुल हक के मकान एवं हुये मनोज के मकान तक एवं आन्तरिक गलियाँ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.43	3.215